कराली (राज०)

25/8/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस वकील उभय पक्ष का मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया सायलान ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खं.नं. 1475 रकबा बीघा 03 बिस्वा कस्बा करौली तहसील करौली सायलान। ता 03 व सायल 4 ता 7 के पिता रामसिंह के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। रामसिंह का स्वर्गवास हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.17 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उक्त आराजी से गैर सायलान क्र० 20 का कोई सम्बन्ध नही है। दि० 23/2/15 को गैर सायलान क्र० 1 ता० 20 ट्रेक्टर ट्रोली मे पत्थर रासे चौका लेकर आ गये और सायलान को धमकियां कहा कि उक्त आराजी मे पत्थर पटक कर जबरन ताकत के बल पर पाटोर चौका मकान/पाट का निर्माण करेंगे और सायलान को कभी भी अब फसल काश्त नही करने देंगे सायलान ने मना किया तो गैर सायलान नं० 1 ता० 20 सायलान से झगड़ा करने पर आमादा हो गये। यदि गैर सायलान ने आराजी मे जबरन निर्माण कार्य करकर सायलान को आराजी से बेदखल कर दिया तो सायलान भूमि के फसल लाभ से वंचित हो जावेंगे जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी इसलिए सायलान गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

गैर सायलान ने सायल के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि आराजी पर सायलान का कब्जा नही है। सायलान ने गलत तथ्यो के आधार पर ~~पेश बन्दी~~ के लिये जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है गैर सायलान सन् 2000 से आबादी के पास चारागाह भूमि खं० नम्बर 1472, 1487 मे रिहायश कर रहे है खं० नं० 1475। किस स्थान पर है सायलान को पता नही है खं० नं० 1475 सिवायचक भूमि थी जिसे सायलान ने आवंटन करा कर विक्रय कर दिया है। जवाबदावा इन्द्राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.17 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...

के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किये है खं नं 1475/1 के उत्तर मे खं नं 1476 है व दक्षिण मे 1471 है खं नं 1475/1 से खं नं 1472 की सीमा लगी हुई है। गैर सायलान के पत्थर सन 2000 से पडे हुये है। पक्का कमरा चौकी फेश व पाटौर रिहायशी बनी हुई है। और विद्यालय धनीराम पुरा मे गैर सायलान के कब्जे पहले है सायलान भूमि को हडपना चाहते है। खं नं 1472 व 1482 सरकारी भूमिया है और गैर सायलान की बसावट 8-9 वर्ष पूर्व से है। सायल गैरसायलान के भूमि से बेदखल करना चाहते है। और प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कथन किया है।

पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से खं नं 1475/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 मे सायलान व पिता सायलान के खाते दारी मे दर्ज है। एवं गैर सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर दि० 18.1.11 मे गैर सायलान की रिहायश खं नं 1472 व 1487 मे होना बताया है जो चारागाह भूमि है। जिससे स्पष्ट है कि खं नं 1475/1 मे गैर सायलान की रिहायश नही है उक्त आराजी सायलान के कब्जे काश्त की है जिसमे कोई निर्माण गैर सायलान का नही होना गैर सायलान की स्वीकृति है। यदि खं नं 1475/1 मे गैर सायलान द्वारा निर्माण किया जाता है तो इस स्थिति मे सायलान के हित प्रभावित होगे। जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति व असुविधा प्रतीत होती है। प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.17 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सायलान स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान 1 ता० 20 को ता फैसला दावा पत्रावली अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह दावा ग्रस्त आराजी खसरा नं. 1475/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं. 8 तह० करौली मे सायलान के कब्जे काश्त मे दखल नहीं करे एवं आराजी मे कोई निर्माण कार्य नहीं करे ना किसी अन्य से करावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली मे शामिल रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.17 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner